



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082025-265643
CG-DL-E-22082025-265643

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2025/श्रावण 31, 1947

No. 223]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2025/SHRAVANA 31, 1947

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2025

सं. एलएफईएस-एलएस11/2/2025-विधायी अनुभाग-आरएसएस.—राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2025 को दिया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा राज्य सभा का सत्रावसान करती हूँ।

अगस्त 22, 2025

ह./-
राष्ट्रपति।"

पी. सी. मोदी, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd August, 2025

No. LAFEAS-LS11/2/2025-Legis Sec-RSS.—The following Order by the President dated the 22nd August, 2025 is published for general information:-

“In exercise of the powers conferred upon me by sub- clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Rajya Sabha.

August 22, 2025

Sd/-
PRESIDENT"

—

P. C. MODY, Secretary-General